न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या– 39/2026

सी0आई0एस0 नं0– 93/2026

बिहार सरकार द्वारा सूचिका रानी देवी.....अभियोजन

बनाम्

सुमित मंडल .....अभियुक्त

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

19वीं जून, 2026.

(विचारण संख्या 39/2026, सी0आई0एस0 नं0– 93/2026)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

बोखड़ा थाना कांड संख्या– 216/2025

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

परिवादी/सूचिका	बिहार सरकार द्वारा रानी देवी, पति–बालबोध कामत, ग्राम–चकौती, वार्ड नं0–10, थाना–बोखड़ा, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।
अभियुक्तः– **1. सुमित मंडल,** उम्र–19 वर्ष, पिता–संतोष मंडल साकिन–बैका, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री अभिषेक कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 39/2026, सी0आई0एस0 नं0– 93/2026

बोखड़ा थाना कांड संख्या– 216/2025

निर्णय की तिथि– 19वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम सुमित मंडल (अभियुक्त)

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	14.12.2025
प्राथमिकी का दिनांक	18.12.2025
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	28.02.2026
आरोप गठन का दिनांक	13.03.2026
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	30.03.2026
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	17.06.2026
निर्णय का दिनांक	19.06.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का क्रमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	**सुमित मंडल**	25.01.2026	16.03.2026	धारा 137(2), 96, बी0एन0एस0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	रानी देवी	सूचिका

अभियोजन साक्षी संख्या 3	ज्योती कुमारी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 4	बलराम कामत	अन्य साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।
2.	प्रदर्श–2	बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।
3.	प्रदर्श–3	टंकित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
19/06/26

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 39/2026, सी0आई0एस0 नं0– 93/2026

बोखड़ा थाना कांड संख्या– 216/2025

निर्णय की तिथि– 19वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम सुमित मंडल (अभियुक्त)

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित एम मात्र अभियुक्त **सुमित मंडल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 137(2), 96, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम–चकौती, वार्ड नं0–10, थाना–बोखड़ा, जिला–सीतामढी में दिनांक–14.12.2025 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचिका रानी देवी के टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि मेरी नाबालिग पुत्री पीड़िता जन्म तिथि 02.02.2012 है, जो दिनांक–14.012.2025 को 11 बजे दिन में घर से राशन का सामान लेने गांव के किराना दुकान पर गयी थी, जो लैंटकर वापस घर नहीं आई। कुछ समय के बाद पुत्री की खोजबीन शुरू किया, अपने सगे सम्बन्धी एवं अपने पहचान के लोगों से पूछताछ किया परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। लगभग चार माह पूर्व मेरी पुत्री अपने मोबाईल नंबर–7304386564 एवं 7461081945 से नाम–सुमित मंडल पिता–संतोष मंडल मोबाईल नंबर–9102842377 से बातचीत किया करती थी। जिस समय मेरी पुत्री घर से निकली थी, मेहरून गुलाबी रंग कि सलवार सूट तथा काली रंग कि दुपटा ओढ़े थी। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वर्णित मोबाईल नंबर पर का बातचीत करने वाला व्यक्ति ही मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर देह व्यापार करने या शादी करवाने के नियत से या हत्या करने के नियत से गायब किया है।

3. सूचिका के उपरोक्त टंकित आवेदन के आधार पर बोखड़ा थाना कांड संख्या–216/2025 दिनांक–18.12.2025 अन्तर्गत धारा 137(2), 3(5), बी0एन0एस0 प्राथमिकी में नामित अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया।

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर एक मात्र अभियुक्त **सुमित मंडल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 137(2), 96, में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् एक मात्र अभियुक्त **सुमित मंडल** के विरूद्ध धारा 137(2), 96, एवं धार 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. इस वाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तुत वाद विद्वान अनु0 न्या0 दण्डा0 पुपरी न्यायालय से दौरा सुपर्दगी पर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ है, विचारण संख्या 39/2026 अंकित किया गया।

6. उपरोक्त नामित एक मात्र अभियुक्त **सुमित मंडल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 137(2)/96, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल **04** साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–2 रानी देवी (सूचिका), अभियोजन साक्षी संख्या–3 ज्योती कुमारी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 बलराम कामत** है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पी–1 बी0एन0एस0 की धारा 180 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर, पी–2 बी0एन0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर, पी–3 टंकित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस कांड की पीड़िता हूं। यह मुकदमा मेरी मां ने मेरे अपहरण के संबंध मे सुमित मंडल के विरूद्ध मुकदमा की थी। यह घटना आज से चार–पांच महीना पहले की है, ग्यारह बजे दिन की घटना है। पुलिस मुझे बरामद करके मेरी नानी के घर जजुआर से लाई थी। थाने पर पुलिस मेरा धारा 180 बी0एन0एस0एस0 मे बयान लिये थे, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श P-1/PW1 अंकित किया जाता है। उसके बाद पुलिस मेरा बयान कराने के लिए न्यायालय लाई थी, न्यायालय में बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श P-2/PW1 अंकित किया जाता है। न्यायालय मे बयान के बाद मै अपने मां के साथ चली गई थी। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को

नहीं पहचानती हूं, न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपना नाम सुमित कुमार बताया।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे घर पर मेरी मां से मुझे झगड़ा हो गया था, इसी बात को लेकर घर मे बिना किसी को बताये अपने नानी के घर पर चली गई थी। मुझे मेरे घर से कोई भगाकर या अपहरण करके नहीं ले गया था। जब मेरा मन शांत हो गया था, तब मैं अपने घर वापस आ गई थी। वर्तमान मे मैं अपने मां के साथ रह रही हूं।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 रानी देवी (सूचिका)** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस वाद की सूचिका हूं। मैं अपने नाबालिग पुत्री के अपहरण को लेकर सुमित मंडल के विरूद्व मुकदमा की थी। मैं थाने पर टंकित आवेदन दी थी, जिस आवेदन पर सुमित मंडल का मोबाईल नंबर भी दी थी, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श P-3/PW2 अंकित किया जाता है। यह घटना दिनांक–14.12.2025 के ग्यारह बजे दिन की है। उस दिन मैं मार्केट मे कपड़ा लाने के लिए गई थी और मेरी बेटी पीड़िता राशन लाने के लिए गई थी, वह घर वापस नहीं लौंटी, उस समय उसकी उम्र–16 वर्ष थी। घटना के 5–7 दिनों के बाद स्वयं पीड़िता घर लौंट कर आ गई थी, उसके बाद मैं पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान हेतु न्यायालय लाई थी, न्यायालय मे बयान के बाद पीड़िता मुझे सौंप दिया गया था। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानती हूं, न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपना नाम सुमित कुमार बताया।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मैं गांव के लोगों के कहने पर यह मुकदम कर दी थी। आवेदन टाईप के बाद मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मैं सिर्फ आवेदन पर हस्ताक्षर की थी। अभियुक्त से सुलह सलाह हो गया है। मेरी पुत्री का किसने अपहरण करके ले गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वर्तमान मे पीड़िता मेरे पास है।

Ashok Kumar 19/06/26

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 ज्योती कुमारी** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह मुकदमा मेरी मां ने अपनी नाबालिग बेटी पीड़िता और मेरी नाबालिग बहन के अपहरण के लेकर किया गया था। घटना के समय पीड़िता की उम्र 16–17 वर्ष थी। यह घटना आज से तीन–चार महीने पहले की है, दिन के करीब तीन–चार बजे की घटना है। उस समय मैं अपनी ससुराल मे थी। मेरी मां ने फोन करके मुझे पीड़िता के अपहरण की घटना के बारे मे बताई थी। इसी अपहरण की घटना को लेकर मेरी मां ने सुमित मंडल पर केस की है। घटना के एक महीन या पन्द्रह दिनो के बाद पीड़िता को मेरे मामा ने बरामद करके लाया था, कहां से बरामद करके लाए थे, मुझे जानकारी नहीं है, पीड़िता की बरामदगी की सूचना पुलिस को दिया गया था। पुलिस ने पीड़िता का बयान हेतु न्यायालय लाई थी। वर्तमान मे पीड़िता अपने मां के पास है। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानती हूं, न्यायालय द्वारा पूछे जाने

पर अभियुक्त ने अपना नाम सुमित मंडल बताया।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि घटना के समय मैं अपने ससुराल मे थी, मुझे घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। मेरी बहन पीड़िता को किसने अपहरण किया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 बलराम कामत** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना आज से दो–तीन महीना पहले की है, घटना के दिन मैं कलकत्ता था। मुझे पता चला कि बालबोध कामत की लड़की पीड़िता कहीं चली गई थी, किसके साथ गई थी, मुझे जानकारी नहीं है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 14–15 वर्ष की थी। पीड़िता घटना के दो–ढ़ाई महीना के बाद बरामद हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। अभियुक्त को नहीं पहचानता हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि घटना को मैं अपनी आंखो से नहीं देखा था और घटना के बारे मे कुछ नहीं जानता हूं। मैं कलकत्ता मे रहकर मजुदरी का काम करता हूं। घटना के दिन मै गांव मे नहीं था। मैं आज पीड़िता के पिता जी के साथ न्यायालय मे गवाही देने आया हूं।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है और अभियुक्त को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जाय।

15. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल **04** अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता** है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती है कि मैं इस केस की पीड़िता हूं। थाने पर मैं बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श P-1/PW1 अंकित किया जाता है एवं न्यायालय मे बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श P-2/PW1 अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरे घर पर मेरी मां से मुझे झगड़ा हो गया था, इसी बात को लेकर घर मे बिना किसी को बताये अपने नानी के घर पर चली गई थी। मुझे घर से कोई भगाकर या अपहरण करके ले गया था। **अभियोजन साक्षी संख्या–2 रानी देवी (सूचिका)** है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती है कि मैं इस केस की सूचिका हूं। टंकित आवेदन पर हस्ताक्षर करके थाना में दी थी। यही वह आवेदन है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूं, इसे पद्रर्श P-3/PW2 अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मैं गांव के लोगों के कहने पर यह मुकदमा कर दी थी। कंडिका 4 आवेदन टाईप होने के बाद मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मैं सिर्फ आवेदन पर हस्ताक्षर की थी। कंडिका 5 अभियुक्त

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

से सुलह–सलाह हो गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–3 ज्योती कुमारी** है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 घटना के समय मैं अपने ससुराल में थी, मुझे घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या–4 बलराम कामत** है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 घटना को मैं अपनी आंखों से नहीं देखा था और घटना के बारे मे कुछ नहीं जानता हूं। कंडिका 4 मैं कलकत्ता में रहकर मजदुरी का काम करता हूं। घटना के दिन मैं गांव में नहीं था।

इस वाद मे अभियोजन साक्षी पीड़िता जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका कथन है कि मेरे घर पर मां से झगड़ा हो गया था, इसी बात को लेकर घर मे बिना किसी को बताये अपने नानी के घर पर चली गई थी, मुझे मेरे घर से कोई भगाकर या अपहरण करके नहीं ले गया था। सूचिका का कथन है कि मैं गांव के लोगों के कहने पर यह मुकदमा कर दी थी, टाईप आवेदन मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था एंव अभियुक्त से सुलह सलाह हो गया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वतत्र साक्षियों के द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया एवं अनुसंधानकर्त्ता को अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदेहात्मक हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लाए गए सभी आरोपों से युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः हर दृष्टिकोण से असफल रहे है। परिणामतः

Ashok Kumar Manjhi
19/06/26

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 39/2026, सी0आई0एस0 नं0– 93/2026

बोखड़ा थाना कांड संख्या– 216/2025

निर्णय की तिथि– 19वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम सुमित मंडल (अभियुक्त)

आदेश

16. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रदर्शो पर विचार करते हुए न्यायालय इस नतीजे पर पाता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित किसी भी धारा को युक्तियुक्त संदेहों को पूर्ण करने मे असफल रहे है। अतः एक मात्र अभियुक्त **सुमित मंडल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 137(2), 96, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से साक्ष्य के अभाव मे संदेहों का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। चुंकि अभियुक्त जमानत पर है, अतः उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के सभी दायित्वों से उनमुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के साक्षियों के विरूद्व निर्गत अधिपत्र को बिना तामिला वापस करने हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 19.06.2026

लेखापित

Ashok Kumar Manjhi 19/06/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 19.06.2026

1.	Date of Judgement/Order	19-06-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	17-06-2026
3.	Uploading Date	23.06.2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar